रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 2018/ज्येष्ठ 29, 1940
No. 415] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 2018/JYAISTHA 29, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून 2018

सा.का.नि. 570(अ).—विस्फोटक नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए कतिपय निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित व्यक्तियों को जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह नोटिस दी जाती है, उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों के बारे में, यदि ऐसे आक्षेपों या सुझावों को अतिरिक्त सचिव औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कमरा नं. 259, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110007 ईमेलः singh.shailen@nic.in को भेजे जा सकेंगे;

किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव, उक्त प्रारूप के बारे में, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विस्फोटक नियम, 2008 में (इसके आगे से मूल नियम के रूप में उल्लिखित) नियम 2, में-

(क) खण्ड (18) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

'(18क) में, "डिस्चार्ज साईट" से, आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त आतिशबाजी के आसपास का क्षेत्र अभिप्रेत है;';

(ख) खण्ड (19) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात –

'(19) "प्रदर्शन आतिशबाजी" से, विनिर्मित आतिशबाजी अभिप्रेत है जो मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित है और जिसे साईट पर आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए दृश्यमान (दिखने) और/या श्रव्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए संकलित किया जाना हैं;';

(ग) खण्ड (25) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

'(25क) "आतिशबाज़ी प्रदर्शन सहायक" से, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आतिशबाजी के उपकरणों की स्थापना, मोर्टारों का लदान, आतिशबाजी को प्रज्वलित करने और निर्वहन स्थल की सफाई के लिए आतिशबाज़ी प्रदर्शन प्रचालक की सहायता करता है;';

'(25ख) "आतिशबाज़ी प्रदर्शन प्रचालक" से, मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आतिशबाजी प्रदर्शन के संचालन और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं';

(घ) खण्ड (30) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

'(30क) "भारक" से, ऐसा सहायक अभिप्रेत है, जो हवाई गोले और अन्य आतिशबाजी प्रदर्शन सामग्री की लदाई करता है; ';

(ङ) खण्ड (35) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

'(35क) "मॉनिटर" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भीड़ को नियंत्रित करता है और दर्शकों या किसी अन्य अनधिकृत व्यक्ति को प्रदर्शन आतिशबाजी के निर्वहन स्थल में प्रवेश करने से रोकता है;';

3. मूल नियम में, नियम 4 में, उप-नियम(3) में, खण्ड (iii) में "कोई" शब्द का लोप किया जाएगा।

4. मूल नियम में, नियम 83, में-

(अ) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) परिसर का भण्डारण क्षेत्रफल-

(क) किसी दुकान में किसी एक समय में, वर्ग 7, खंड 2, उप-खंड 2 के 100 किलोग्राम से अनधिक विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम फायर पटाखें या स्पार्कलर्स को रखने और विक्रय के लिए, न्यूनतम नौ वर्ग मीटर और अधिकतम बारह वर्ग मीटर होगा,;

(ख) किसी दुकान में किसी एक समय में, वर्ग 7, खंड 2, उप-खंड 2 के 100 किलोग्राम से अधिक किंतु 300 किलोग्राम से अनधिक विनिर्मित आतिशबाजी और 500 किलोग्राम से अधिक किंतु 1200 किलोग्राम से अनधिक फायर पटाखें या स्पार्कलर्स को रखने और विक्रय के लिए न्यूनतम बारह वर्ग मीटर और अधिकतम बीस वर्ग मीटर होगा,;

(आ) उप-नियम (4) में, खंड (क) से (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंडों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) अलग प्रवेश द्वार और आपातकालीन निकास के साथ एक मंजिला स्वतंत्र इमारत होगी;

(ग) कोई बीच का तल या तहखाना नहीं होगा;

(घ) किसी भी संरचना या भवन से खुले आकाश की ओर न्यूनतम तीन मीटर की दूरी बनाए रखी जाएगी;

(ङ) न्यूनतम 1.2 मीटर चौड़ाई का एक आपातकालीन निकास, जिसमें बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजे हों और जो प्रवेश द्वार की दीवार के अलावा किसी अन्य दीवार पर स्थित हो;"।

5. मूल नियम में, नियम 86 के, उप-नियम (3) में, "किसी अन्य परिसर" शब्दों के पश्चात "या शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, चिकित्सा निदान केंद्रों, धार्मिक स्थानों, बैंकों, सामुदायिक केंद्रों, शॉपिंग मॉल,यथा स्थिति या विवाह सभागृह " शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

6. मूल नियम, नियम 107 में, उप-नियम(6) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"(6क) आतिशबाज़ी प्रदर्शन प्रचालन या आतिशबाज़ी प्रदर्शन सहायक प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए आवेदन के मामले में, नियम 113 के मद संख्या 26 में निर्दिष्ट दस्तावेजों और फोरमेन प्रमाण पत्र के जैसी ही निर्दिष्ट शुल्क की प्राप्ति होने पर, नियंत्रक प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले यथा आवश्यक परीक्षा और पूछताछ करेगा। प्रदर्शन आतिशबाजी के संबंधित क्षेत्र में आवेदक को पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होने की संतुष्टी पर, वह फॉर्म एल ई-11 (क) में प्रमाण-पत्र जारी करेगा। जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए यह प्रमाण पत्र वैध होगा। आवेदन पत्र

एलई -11 (अ) में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति होने पर और नए प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूर्ण करने पर, अगले पांच साल की अवधि के लिए प्रमाण पत्र नवीकृत किया जा सकता है।"।

7. मूल नियम, नियम 113 में, तालिका में-

(क) क्रम संख्यांक 1 में, स्तंभ 2 में, "आतिशबाजी" शब्द के पश्चात, "प्रदर्शन आतिशबाज़ी वस्तुओं को छोड़कर" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) क्रम संख्यांक 20 में,-

(i) स्तंभ संख्या 2 में विद्यमान प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 2000 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी के कब्जे और उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति";

(ii) स्तंभ संख्या 6 में, विद्यमान प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

(क) प्ररूप एई-6

(ख) डिस्चार्ज साइट, दर्शक अवलोकन क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र, निकास मार्ग, इससे जुड़ी पृथक्करण दूरी और डिस्प्ले की सुविधा के किनारे से 250 मीटर के दायरे के भीतर की संरचनाओं की लंबाई-चौड़ाई दर्शित करने वाला साइट प्लान;

(ग) तारीख और समय जब सार्वजनिक प्रदर्शन होना है;

(घ) प्रदर्शन में प्रयुक्त किए जाने वाले आतिशबाजी के प्रकार;

(ङ) प्रदर्शन में उपयोग के लिए आतिशबाजी के आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और अनुज्ञप्ति संख्या;

(च) नियम 2 के अनुसार अधिवासी के रूप में नामांकन के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ साथ अधिवासी के पासपोर्ट आकार की फोटो;

(छ) नियम 107 के उप-नियम (6 क) के अनुसार शुल्क;

(ज) सार्वजनिक दायित्व बीमा;

(झ) जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट;

(ञ) ऑनसाइट आपातकालीन योजना;

(ट) आतिशबाजी प्रदर्शन प्रचालक और आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक के प्रमाण-पत्र की प्रतियां;

(ठ) आवेदक को जारी साइट पर मैगजीन अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि।";

(ग) क्रम संख्या 25 और उसके संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"26	आतिशबाजी प्रदर्शन प्रचालक या आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक प्रमाण पत्र	12	एलई-11(क)	आवश्यक नहीं	(i) प्ररूप एई -11 (क); (ii) पास-पोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां; (iii) अनुभव प्रमाण पत्र; (iv) जन्म तिथि का प्रमाण; (v) चिकित्सीय प्रमाणपत्र; (vi) पहचान का प्रमाण; "।

8. मूल नियम, अनुसूची 4 में,

(क) भाग 1 में, अनुच्छेद 11 के पश्चात, उसके संबंधित प्रविष्टियां, निम्नलिखित अनुच्छेद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“12	आतिशबाजी प्रदर्शन प्रचालक या आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक प्रमाण पत्र	एलई-11(क)	नियंत्रक”।

9. मूल नियम, अनुसूची 5 में,

(क) भाग 1 में, प्ररूप एई -11 के पश्चात, निम्न प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

“प्ररूप एई -11(क)

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 113 देखिए)

आतिशबाजी प्रदर्शन प्रचालक या आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन

मैं, ... आतिशबाजी के प्रदर्शन में सहायता / पर्यवेक्षण(जो प्रासंगिक नहीं उसे काट दें), के लिए आतिशबाजी प्रदर्शन प्रचालक या आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता हूं। आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं और अपेक्षित दस्तावेज संलग्न हैं।

1. आवेदक का पूरा नामः ....
2. आवेदक की आयुः ....
3. पिता का नामः ....
4. (क)डाकपताः..
....
....शहर
.... जिला...........................राज्य..........................

पिन कोड.....................

पुलिस थाना..........................रेलवे स्टेशन...

फोन.. ई-मेल....................................फैक्स....................................

(ख) आवासीय पता:..
....
.................सर्वे नं. ....शहर.....................

जिला..........................राज्य............................पिनकोड....................................

पुलिस स्टेशन... रेलवे स्टेशन..

फोन............................ ई-मेल.............................. फैक्स..

5. आवेदक की अर्हताएं और अनुभव..

6. आतिशबाजी प्रदर्शन साइट का नाम और पता जहां आवेदक ने अनुभव हासिल किया है.....................
....
....

7. अन्य कोई जानकारी...

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई विशिष्टियां सही हैं।

तारीख: ....

स्थान : .... आवेदक के हस्ताक्षर..............................

टिप्पण: कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न करें:

(1) पास-पोर्ट आकार की फोटो की दो प्रतियां

(2) अनुभव प्रमाण पत्र

(3) आयु का प्रमाण पत्र

(4) पहचान का प्रमाण

(5) चिकित्सीय प्रमाणपत्र जो की आवेदन की दिनांक से दो माह पुराना न हो।

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर दांडिक अपराध होगा।

(ख) भाग 3 में,-

(i) प्ररूप एलई-6 के लिए, निम्न प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

"अनुज्ञप्ति प्ररूप एलई -6

(विस्फोटक नियम, 2008 की अनुसूची 4 के भाग 1 का अनुच्छेद 6 देखें)

सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किसी एक समय में 2000 किग्रा से अनधिक आतिशबाजी रखने और उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्तिधारी या अधिभोगी के हस्ताक्षर सहित फोटो के लिए स्थान

अनुज्ञप्ति सं...

फीस रू...

1. एतद् द्वारा (नामः)...को अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

पताः...

शहर...........................जिला..........................राज्य.......................................

पिन कोड....................

पुलिस थाना..........................रेलवे स्टेशन...

एसटीडी सहित फोन.....................................मोबाईल नं.........................

ई- मेल..फैक्स...

2. अधिभोगी का नाम श्री ....

3. अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थितिः..

4. निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति विधिमान्य हैः

....

....

5. अनुज्ञप्त परिसर निम्न रेखाचित्र के अनुरूप होगा:

साइट प्लान आरेखण सं. .... दिनांक...............................

लेआउट रेखाचित्र सं...................................... दिनांक ....

6. प्रदर्शन अनुज्ञप्त परिसर निम्नलिखित पते पर अवस्थित हैं:

सर्वेक्षण संख्या .... शहर / गांव ....

जिला ....राज्य..

पिन कोड.......................................

पुलिस स्टेशन .... रेलवे स्टेशन ....

एसटीडी कोड के साथ फोन नंबर .... मोबाइल नंबर ....

ई-मेल .... फैक्स.................................... ..

7. समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम, 1884 और उनके अधीन विरचित विस्फोटक नियम, 2008 के उपबंधों और अनुलग्नक शर्तों के अधीन रहते हुए और निम्नलिखित संलग्नों के साथ, अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है:

(1) आरेखण (साइट और अन्य विवरण दर्शाते) जैसा कि उपरोक्त धारा क्रमांक 4 में बताया गया है।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस अनुज्ञप्ति की शर्तें।

(3) प्रदर्शित किए जाने वाले आतिशबाजी का वर्णन और मात्रा

क्र.सं.	प्रदर्शित किए जाने वाले आतिशबाजी का वर्णन	आकार	भार	मदों की संख्या	मात्रा कि.ग्रा. में	मु.वि.नि. अनुमोदन संख्या
कुल						

• 2000 किलोग्राम की क्षमता के लिए 20 किलोग्राम की मानव सीमा प्रतिबंधित है।

8. यह अनुज्ञप्ति.......................... दिन .... तक विधिमान्य रहेगी।
....20 .... (अधिकतम एक महीने) प्रदर्शन का समय...
...............................से....................................

यह अनुज्ञप्ति, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने या यदि अनुज्ञप्त परिसर योजना या उससे संलग्न उपबंध में दर्शित विवरण के अनुरूप नहीं पाए जाने पर निलंबित या प्रतिसंहृत की जा सकती है।

तारीख: ....20...............................अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर, पदनाम और मुहर
स्थान : .... (जिला मजिस्ट्रेट)

कानूनी चेतावनी : विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर दांडिक अपराध माना जाएगा।

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी आतिशबाजी का प्रदर्शन करने से कम से कम 15 दिन पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचना देगाः
   (क) साइट की तैयारी और उसकी तत्परता
   (ख) आतिशबाज़ी प्रदर्शित ऑपरेटर, आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक, मॉनिटर और भारक के नाम, पते और फोन नं.
2. प्रदर्शन आतिशबाजी को केवल अनुज्ञप्त मैगजीन में भंडारित किया जाएगा और केवल ऐसे स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा जो इस अनुज्ञप्ति से सम्बद्ध रेखांक में दर्शित हैं। मैगजीन प्रदर्शन स्थल से कम से कम 200 मीटर दूर पर होगी।
3. प्रदर्शन आतिशबाजी को समय से पूर्व मैगजीन में लाया और रखा जाएगा। प्रदर्शन आतिशबाजी के नमूनों को अनुज्ञापन प्राधिकरी द्वारा निकाला जाएगा और विश्लेषण के लिए प्रदर्शन आतिशबाजी के निर्माण में निषिद्ध रसायनों के इस्तेमाल का पता लगाने के लिए राज्य सरकार के रासायनिक परीक्षणकर्ता की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।
4. दर्शक और उस स्थान, जहां प्रदर्शन किया जाना है, के बीच, प्रभावी अवरोधन से कम से कम 100 मीटर की दूरी रखी जाएगी।

5. प्रदर्शन के लिए केवल मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित आतिशबाजी का उपयोग किया जाएगा। प्रदर्शन आतिशबाजी को उन व्यक्तियों से क्रय किया जाए जिन्हें ऐसी आतिशबाजी का विनिर्माण करने के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है। आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए लेने से पूर्व किसी भी दोष के लिए स्पष्टतया जांच की जाएगी और प्रदर्शन के लिए ऐसी दोषपूर्ण आतिशबाजी का उपयोग नहीं किया जाएगा।

6. प्रदर्शन उद्देश्य के लिए आतिशबाजी को संकलित करने के लिए एक शेड, आतिशबाजी भंडारण मैगजीन से न्यूनतम 20 मीटर की दूरी पर और प्रदर्शन स्थल से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी पर उपलब्ध की जाएगी।

7. किसी भी आतिशबाजी में क्लोरेट या प्रतिषिद्ध विस्फोटक मिश्रण अंतर्विष्ट नहीं होगा।

8. किसी भी आतिशबाजी में ऐन्टमोनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट या किसी अन्य निषिद्ध रसायन अंतर्विष्ट नहीं होगा।

9. उस समय आतिशबाजी का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा जब जायु की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है या दर्शकों पर नियंत्रन नहीं रह जाता है।

10. आतिशबाजी के बनाए जाने और प्रदर्शन के लिए कम से कम व्यक्तियों को नियोजित किया जाएगा।

11. स्थल का निरंतर पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए और नियोजित व्यक्तियों को संरक्षक वस्त्र, कर्णरक्षक, सुरक्षा चश्में और अन्य रक्षा युक्तियां धारण करनी चाहिए।

12. एक बार आतिशबाजी को स्थल पर ले जाया जाता है तो स्थल को असंरक्षित रूप में नही छोडा जाएगा।

13. किसी तम्बू, ट्रेलर यान की कैनवेस ओट के 15 मीटर के अंतर या उसके पास आतिशबाजी को नहीं सुलगाया जाएगा।

14. किसी भी आतिशबाजी को किसी अस्पताल, परिचर्या गृह, विद्यालय से 250 मीटर के अंदर तब तक नहीं छोडा जाएगा जब तक कि स्थानीय प्राधिकारियों से और उसके स्वामी या अभिकर्ता से सहमति प्राप्त न कर ली गई हो।

15. अग्नि शमन सेवा प्राधिकारियों के परामर्श से पर्याप्त अग्निशमन उपस्कर, प्रारंभिक उपचार और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

16. प्रदर्शन के पश्चात अपशिष्ट और अन्य वस्तुओं, आदि को सावधानीपूर्वक एकत्रित किया जाएगा, उन्हें स्थल से हटा कर किसी सक्षम प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्यक् सावधानी बरतते हुए जला कर नष्ट कर दिया जाएगा।

17. अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम और उसके अधीन अधीन बनाए गए नियमों का या जिस रूप में वे अन्यथा लागू हो, अनुपालन करेगा।

18. ऐसे किसी क्षेत्र से, जहां आतिशबाजी बिछाई गई हो, पन्द्रह मीटर के भीतर कोई विद्युत तार नहीं रहने दिया जाएगा।

19. प्रदर्शन के लिए प्रयुक्त लोहे की मार्टरों की आधी लंबाई जमीन के नीचे होगी। एक ही आकार के मार्टरों को इस प्रकार समूहबद्ध किया जाना चाहिए कि वे परस्पर 50 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर न हो । विभिन्न आकार के मार्टरों के समूह परस्पर कम से कम 10 मीटर दूरी पर रखे जाने चाहिए। मार्टरों या फ्रेमों को भूमि से भली प्रकार बद्ध कर दिया जाएगा।

नोट: मोर्टारों को स्थापित करने से पहले उनका निरीक्षण किया जाए। दोषपूर्ण मोर्टारों का उपयोग नहीं किया जाए। मोर्टारों को ऐसे स्थापित किया जाए और दूरी रखी जाए ताकि गोले सुरक्षित क्षेत्र से आगे बढ़े और आतिशबाजी प्रदर्शन प्रचालक / आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक और भारक को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करें।

20. प्रदर्शन प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि आतिशबाजी सुरक्षित क्षेत्र में छुडाई जाए और उसका मलबा भी ऐसे ही क्षेत्र में गिरे।

21. केवल फायर करने के प्रयोजन के सिवाय कोई भी दिया सलाईयां, बत्तियां या कोई ज्वलनशील या परिसंकटमय प्रकृति की वस्तु जिसमें अग्नि लग सकती हो या विस्फेाट हो सकता हो, अनुज्ञप्त परिसरों में न तो लाई जाएगी और न रखी जाएगी।

22. प्रदर्शन के प्रयुक्त मार्टरों के सिवाय लोहे या इस्पात के बने औजारों, उपकरणो आदि को किसी भी समय परिसरों में नहीं रखा जाएगा और अनुज्ञप्त परिसर पर मौजूद किसी भी व्यक्ति के कब्जे में अथवा उसके बूटों या जूतों में कोई लोहा या इस्पात लगा नही होगा।

23. अनुज्ञप्तिधारी प्राप्त किए गए, प्रयुक्त किए गए, हाथ में और भंडार की गई आतिशबाजी का अभिलेख और लेखा-जोखा रखेगा।

24. अनुज्ञप्तिधारी भंडारण और प्रदर्शन् के स्थान पर प्रवृत्त स्थानीय उपविधियों का पालन करेगा और जब कभी अपेक्षित हो, उसके लिए आवश्यक अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा।

25. अनुज्ञप्ति की समाप्ति को पश्चात् शेष बचे विस्फोटकों की किस्मों और मात्राओं की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को दी जाएगी और अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विस्फोटकों के निपटारे के बाबत ऐसे प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करेगा।

26. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को लिखित नोटिस द्वारा परिसर में परिवर्धन् या परिवर्तन करने के लिए निदेशित करता है, जिसमें ऐसे प्राधिकारी की राय में परिसर या वहां कार्यरत व्यक्तियों या श्रोताओं की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिवर्धन् या परिवर्तन को यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निष्पादित करेगा।

27. अनुज्ञप्तिधारी और उसके कर्मचारी आपातकाल के दौरान परिसर के भीतर ली जाने वाली प्रक्रिया से अवगत होंगे।

28. किसी भी निरीक्षण अधिकारी या प्रतिचयन अधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुज्ञप्त परिसरों में मुक्त प्रवेश होगा और ऐसे अधिकारी को प्रत्येक सुविधा दी जाएगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम, नियमों और शर्तों का अनुपालन हो रहा है।

29. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को लिखित रूप में अनुज्ञप्त परिसर या मशीनरी या औजारों या उपकरण में कोई ऐसी मरम्मत परिवर्धन या परिवर्तन करने या ऐसी सिफारिशों को पूरा करने के लिए सूचित करता है जिसमें ऐसे प्राधिकारी की राय में उससे अवांछनीय जोखिम पैदा हो सकती और इस प्रकार यह परिसर को बाहर या भीतर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है तो अनुज्ञप्तिधारी उन सिफारिशों को निष्पादित करेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

30. अग्नि या विस्फोटक द्वारा दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि, उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत दी जाएगी।

31. आतिशबाजी और उससे जुडी सामग्री का मोर्टारों में लदान केवल प्रदर्शन से पूर्व ही किया जाएगा। आतिशबाजी प्रदर्शन के दौरान किसी भी आतिशबाजी और उससे जुडी सामग्री का पुनः लदान नहीं होगा।

32. फ्यूज इस तरह से लगाया जाएगा कि मोर्टार में डालने के बाद वह कम से कम 15 सेंटीमीटर फ्यूज, शेल से बाहर निकला होगा।

33. आतिशबाजी के असफल होने की स्थिति में, कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी के सुलगाने के 30 मिनट तक प्रदर्शन स्थल पर ना पहुंचेगा ना ही इसकी अनुमति होगी।

34. अनुज्ञापन प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में ऑनसाइट आपातकालीन योजना की तैयारी के आकलन के लिए आतिशबाजी के वास्तविक प्रदर्शन से कम से कम दो दिन पूर्व मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।

35. आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा काम में लगाए गए व्यक्तियों की आसान पहचान के लिए फ्लोरोसेंट स्ट्रिप्स वाले अलग रंग के जैकेट पहने होंगे और उनके पास अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी पहचान पत्र होंगे।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम और सील

(जिला मजिस्ट्रेट)";

(ii) प्रपत्र एलई -11 के पश्चात, निम्न प्रारूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप एलई -11(क)

आतिशबाजी प्रदर्शन प्रचालक/ आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक प्रमाण पत्र

(अनुसूची 4 के भाग 1 का अनुच्छेद 11 देखें)

(विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 107(6) देखें)

आतिशबाजी प्रदर्शन प्रचालक/ आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

सं. ....

अनुज्ञप्तिधारी या अधिभोगी के हस्ताक्षर सहित फोटो के लिए स्थान

प्रमाणित किया जाता है कि ....(नाम), जिसका जन्म.............................(जन्म तिथि) को हुआ था, जो....................(पता) का निवासी है ने............................(परीक्षा को संचालन करने वाले प्राधिकारी का नाम) द्वारा तारीख..................को आयोजित..........................(आतिशबाजी प्रदर्शन प्रचालक/ आतिशबाजी प्रदर्शन सहायक परीक्षा) ....(तारीख) को उत्तीर्ण कर ली है और उसे विस्फोटक नियम, 2008 के अधीन के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्ररूप एल -6 में विधिवत आतिशबाजी के पर्यवेक्षण / सहायता के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र.........................(जारी करने की तारीख से पांच वर्ष) तक विधिमान्य होगा। यह प्रमाण-पत्र, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों अथवा इस प्रमाण-पत्र की शर्तों का कोई अतिक्रमण करने पर या यदि आवेदक द्वारा अपने आवेदन प्ररूप में दी गई सूचना में कोई फरबदल या विचलन होता है तो निलम्बित या अभिखंडित कर दिया जाएगा।

स्थानः.........................

(अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख.........................

....

कानूनी चेतावनी: विस्फोटकों को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरुपयोग विधि के अधीन गंभीर दांडिक अपराध माना जाएगा।

शर्तें

1. विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए लागू किए जाने वाली सभी स्थानीय विधियां और विनियम लागू होंगे।
2. मादक, शराब, स्वापक या अन्य खतरनाम औषधियों से प्रभावित किसी व्यक्ति को विस्फोटक सामग्री के उपयोग की अनुज्ञा नहीं होगी।
3. इस प्रमाण-पत्र का धारक उन सभी या किन्हीं निदेशों का पालन करेगा जो सुरक्षा के हित में समय समय पर नियंत्रक द्वारा दिए जाएं।
4. अग्नि या विस्फोटक द्वारा दुर्घटनाओं विस्फोटकों की हानि या उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस भाने और उन क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाले विस्फोटक नियंत्रक को तुरंत दी जाएगी।

(ग) भाग 4 में,-

(i) सेट I में, शर्त (25) के पश्चात, निम्न शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(25क) किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, ऐन्टमोनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट या किसी अन्य निषिद्ध रसायन अंतर्विष्ट नहीं होगा";

(ii) सेट II में,-

(क) शर्त (31) के पश्चात, निम्न शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(31क) किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, ऐन्टमोनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट या किसी अन्य निषिद्ध रसायन अंतर्विष्ट नहीं होगा";

(ख) शर्त (66) के पश्चात, निम्न शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(66क) किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, ऐन्टमोनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट या किसी अन्य निषिद्ध रसायन अंतर्विष्ट नहीं होगा";

(iii) सेट IX में, शर्त (3) के पश्चात, निम्न शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3क) किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, ऐन्टमोनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट या किसी अन्य निषिद्ध रसायन अंतर्विष्ट नहीं होगा";

(ख) सेट XI में, शर्त (10) के पश्चात, निम्न शर्त रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(10क) किसी भी आतिशबाजी में लिथियम, ऐन्टमोनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रोंटियम क्रोमेट या किसी अन्य निषिद्ध रसायन अंतर्विष्ट नहीं होगा"।

[फा. सं. 2(9)/2013-विस्फोटक]

शैलेन्द्र सिंह, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 907(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 65(अ), तारीख 24 जनवरी, 2011 तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 772(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2013 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June 2018

G.S.R. 570(E).—The draft of the following rules to amend the Explosives Rules, 2008, which Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884) is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions if any, to these draft rules may be sent to the Additional Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 259, Udyog Bhavan, New Delhi –110107 or Email: singh.shailen@nic.in, within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period above so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Explosives (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Explosives Rules, 2008 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,—

(a) after clause (18), the following clause shall be inserted, namely:—

'(18A) "discharge site" means the area immediately surrounding the fireworks used for display of fireworks;';

(b) for clause (19), the following clause shall be substituted, namely:—

'(19) "display fireworks" means manufactured fireworks as approved by the Chief Controller to be assembled at site for fireworks display to produce visible and/or audible effects;';

(c) after clause (25), the following clause shall be inserted, namely:—

'(25A) "Fireworks Display Assistant" means a person recognised by the Chief Controller or Controller, who assists the Fireworks Display Operator for setting up of the equipments of fireworks, loading mortars, igniting the fireworks and cleaning the discharge site;';

'(25B) "Fireworks Display Operator" means a person recognised by the Chief Controller or Controller who is responsible for the operations and safety of fireworks display;';

(d) after clause (30), the following clause shall be inserted, namely:—

'(30A) "Loader" means an assistant who loads aerial shells and other fireworks display items;';

(e) after clause (35), the following clause shall be inserted, namely:—

'(35A) " Monitor" means a person who controls crowd and prevents spectators or any other unauthorized persons from entering into the discharge site of display fireworks;'.

3. In the principal rules, in rule 4, in sub-rule (3), in clause (iii) for the word 'Any", the word "The" shall be substituted.

4. In the principal rules, in rule 83,—

(A) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) the premises shall have storage area not less than—

(a) nine square meters and not more than twelve square meters for possess and sell from a shop, at any one time, not exceeding 100 kilogrammes of manufactured fireworks of class 7, Division 2, sub-division 2 and 500 kilogrammes of fire crackers or sparklers;

(b) twelve square meters and not more than twenty square meters for possess and sell from a shop at any one time, manufactured fireworks of Class 7, Division 2, sub-division 2, exceeding 100 kilogrammes but not exceeding 300 kilogrammes, and fire crackers or sparklers exceeding 500 kilogrammes but not exceeding 1200 kilogrammes.;

(B) in sub-rule (4), for clauses (a) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(a) be a single storied independent building and shall have separate entrance and emergency exit;

(b) not have mezzanine floor or any basement;

(c) maintain minimum three meters open to sky clearance from any structure or building;

(d) have one emergency exit of minimum width 1.2 meters, having doors opening outwards and located on the wall other than the entrance side; ".

5. In the principal rules, in rule 86, in sub-rule (3), after the word "material", the words "or educational institutes, hospitals, medical diagnostic centers, religious places, banks, community centers, shopping malls as the case may be or marriage halls" shall be inserted.

6. In the principal rules, in rule 107, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"6(A) In case of application for grant of Fireworks Display Operator or Fireworks Display Assistant Certificate, the Chief Controller or Controller on receipt of documents specified in item number 26 of rule 113 and fee same as specified for Foreman's certificate shall conduct such examination and enquiries as deemed necessary before granting the certificate. On his being satisfied that the applicant has adequate knowledge and experience in related field of display fireworks, he shall grant the certificate in Form LE-11(A). Such certificate shall be valid for a period of five years from the date of issue. The certificate may be renewed for subsequent five-year periods on receipt of documents as mentioned in application form AE-11(A) and completion of procedures as in the case of fresh grant of certificate.".

7. in rule 113, in the table—

(a) against serial number 1, in column 2, after the word "fireworks", the words "excluding display fireworks items" shall be inserted;

(b) against serial number 20,—

(i) in column 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Licence to possess and use fireworks for public display not exceeding 2000 kilograms ";

(ii) in column 6, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"(a) Form AE-6;

(b) Site plan showing dimensions of the discharge site, spectator viewing area, parking area, the safe area, egress path, associated separation distances and structures within 250 meters radius from the edge of display facility;

(c) Date and time at which the public display is to be held;

(d) The types of fireworks to be used in display;

(e) Name, address and licence number of the supplier of fireworks for use in display;

(f) Passport size photograph of the occupier along with documentary evidence of nomination as occupier as per rule 2;

(g) Fee as per sub-rule (6A) of rule 107;

(h) Public liability insurance;

(i) Risk assessment report;

(j) Onsite emergency plan;

(k) Copies of the certificate of Fireworks Display Operator and Fireworks Display Assistant;

(l) Copy of the magazine licence at the site issued in favour of applicant.";

(c) after serial number 25 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"26	Fireworks display operator or Fireworks display assistant certificate	12	LE-11(A)	Not required	(i) Form AE-11(A); (ii) Two copies of pass-port size photograph; (iii) Experience certificate; (iv) Proof of date of birth; (v)Medical fitness certificate; (vi) Proof of identity; ".

8. In the principal rules, in Schedule IV,—

(a) in part 1, after article number 11, entries relating thereto, the following article and entries shall be inserted, namely:—

"12	Fireworks display operator or Fireworks display assistant certificate	LE-11(A)	Controller ".

9. In the principal rules, in Schedule V,—

(a) in Part 1, after Form AE-11, the following form shall be inserted, namely:-—

(See rule 113 of the Explosives Rules, 2008)

Application for grant or renewal of Fireworks Display Operator/ Fireworks Display Assistant Certificate

I.. hereby apply for a Fireworks Display Operator/ Fireworks Display Assistant certificate to supervise/assist display of fireworks (strike off which is not relevant).

The necessary particulars are given below and required documents are enclosed.

1. Name of the applicant in full : ....
2. Age of the Applicant : ....
3. Father's name : ....
4. (a) Postal address: ....

   ....

   City ....District.......................State..

   Pin code.....................

   Police Station..................................Railway Station ....

   Phone.......................E-ail..............................Fax..

   (b)Residential address ....

   ....Survey number...........................City...........................

   District.................State..........................Pin code...

   Police Station..................................Railway Station..................................

5. Qualifications and experience of the applicant...
6. Name and address of the fireworks display site where the applicant has acquired experience: ....
8. Any other information..

   I certify that the above particulars are true and correct.

   Date : .... Signature of applicant...

   Place : ....

   Notes: Please attach the following with the application:

   (1) Two copies of latest pass-port size photograph.

   (2) Experience certificate.

   (3) Certificate of proof of age

   (4) Proof of identity

   (5) Medical fitness certificate not more than two months old from the date of submission of application.

Statutory Warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.";

(b) in Part 3,—

(i) for form LE-6, the following form shall be substituted, namely:—

"LICENCE FORM LE-6

(See article 6 of Part 1 of Schedule IV of the Explosives Rules, 2008)

Licence to possess and use fireworks for public display not exceeding 2000 kilogram's at a time

Space for photograph of the licensee or occupier with signature

Licence No……………………………..

Fees Rs..

1. Licence is hereby granted to :

   Name: ……………………………………………………………………

   Address:………………………………………………………………………………city………
   ……………....District……………………......State………………...

   Pin Code………………………………………

   Police Station………………………….Railway Station …………………………………………

   Phone with STD Code……………………………Mobile No..

   E-mail………………………Fax……………………………………

2. Name of the occupier.....……………………………………………………………………

3. Status of licensee:……………………………………………………………

4. Licence is valid for the following purpose :

   ………
   ……………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………

5. The licensed premises shall conform to the following drawing (s):

   Site plan Drawing No…………………………………dated……………………………

   Layout Drawing No…………………………………dated……………………………

6. The display licensed premises are situated at following address :

   Survey number……………………..City/Town village………………………..

   District………………………..State……………………………………

   Pin Code…………………………………..

   Police Station………………………..Railway Station………………………………..

   Phone No with STD code…………………… Mobile No..

   E-mail…………………………………Fax………………………………..

7. The licence is granted subject to the provision of Explosives Act, 1884 as amended from time to time and the Explosives Rules, 2008 framed there under and the conditions and the following annexures :

   (1) Drawings (showing site and other details) as stated in serial No.4 above.

   (2) Conditions of this licence signed by the licensing authority.

   (3) Description and quantity of fireworks to be displayed

Sl.No.	Description of fireworks to be displayed	Size	Weight	Number of items	Quantity in kgs.	CCE approval Number
Total						

- Man limit of 20 people is restricted for a capacity of 2000 kg and thereof.

8. This licence shall remain valid till.......................... day of ....20........................(maximum one month) Time of display .... to ....

This licence is liable to be suspended or revoked for any violation of the Act of rules framed there under or the conditions of this licence or if the licensed premises are not found conforming to the description shown in the plans and annexure attached hereto.

The.........20.......... Signature, Designation and seal of licensing authority

(District Magistrate)

Statutory warning: Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

CONDITIONS

1. The licensee shall intimate the licensing authority 15 days before conducting fireworks display:

a) Readiness of the site and his preparedness

b) Names, addresses and contact number of Fireworks Display Operators, Fireworks Display Assistants, Monitors and Loaders.

2. The display fireworks shall be stored in a licensed magazine and displayed only at the places shown in the plan attached to the licence. The magazine shall be at least 200 meters away from the display site.

3. Display fireworks shall be brought and kept in magazine well in advance. Samples of display fireworks shall be drawn by the licensing authority and sent to Chemical Examiner's Laboratory of the State Government for analysis to detect the use of prohibited chemicals in manufacture of display fireworks.

4. A minimum distance of 100 meter shall be maintained between the spectators and the area where the display is carried out by effective barricading.

5. Only fireworks approved by Chief Controller for display shall be used for display. Display fireworks shall be procured from persons holding valid licence granted to manufacture such fireworks. Fireworks before being taken for display shall be visually examined for any defects and such defective fireworks shall not be used for display.

6. A shed for assembling of the fireworks for display purpose shall be provided at a distance of min 20 meters from fireworks storage magazine and minimum 100 meters from the display site.

7. No fireworks shall contain chlorate or prohibited explosives mixture.

8. No fireworks shall contain antimony, lithium, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other prohibited chemicals.

9. No display of fireworks shall be carried out when the wind velocity exceeds 50 kilometer per hour or the control over spectators has been lost.

10. Only minimum persons shall be employed for assembling and display of fireworks.

11. The site shall be constantly supervised and the persons employed shall wear protective clothes, ear defenders, safety glasses and other protective devices.

12. Once fireworks taken to the site, the site shall not be left unattended or unprotected.

13. No fireworks shall be ignited inside of or closer than 15 meters of any tent, trailer, canvas shelter of vehicle.

14. No fireworks shall be ignited within 250 meters of a hospital, nursing home, schools unless consent from local authorities and the owner or its agent is obtained.

15. Adequate firefighting equipments, facilities and first-aids shall be provided in consultation with the fire service authorities.

16. After the display, the wastes and remnants shall be carefully collected, removed from the site and destroyed by burning under supervision of a competent person, taking due precautions.

17. The licensee shall follow the provisions of the Act and these rules made thereunder as otherwise applicable.

18. No electrical wire shall be allowed within 15meter of the area where the fireworks are laid down.

19. Half the length of the iron mortars used for display shall be buried in the ground. The mortars of the same size shall be grouped and spaced not less than 50cm apart. Groups of different size mortars shall be placed at least 10 meter apart. The mortars or frames shall be securely anchored to the ground.

Note: Mortars shall be inspected prior to placement. Defective mortars shall not be used. Mortars shall be positioned and spaced so that shells are propelled over the safe area and to afford maximum protection to the Fireworks Display Operator/ Fireworks Display Assistant and the loader.

20. Before starting the display it shall be ensured that the fireworks explode and the debris fall in the safe area.

21. No matches, lights or any article of flammable or hazardous nature liable to cause fire or explosion shall be brought or kept in the licensed premises except for firing purpose only.

22. No tools, implements etc. made of iron or steel except mortars used for display shall be kept at any time in the premises and not person on the licensed premises shall have any iron or steel in his possession or on his boots or shoes.

23. The licensee shall keep records and accounts of all fireworks received, used and stock on hand.

24. The licensee shall follow the local bye-laws at the place of storage and display and obtain necessary permission whenever required.

25. The kinds and quantities of explosives remaining after the expiry of licence shall be intimated to the licensing authority and the licensee shall abide by the instructions of such authority regarding disposal of explosives.

26. If the licensing authority directs the licensee by notice in writing to make any additions or alterations, which, in the opinion of such authority, is considered necessary for the safety, of the premises or of the person working therein or the spectators the licensee shall execute such additions or alterations within such period as may be specified.

27. The licensee and the employee shall be conversant with procedure to be taken during the emergency within the premises.

28. Free access to the licensed premises shall be given at all reasonable times to any inspecting or sampling officer and every facility shall be provided to the officer for ascertaining that the provisions of the Act, these rules and the conditions are complied with.

29. If the licensing authority informs in writing, the holder of the licence to execute any repairs or to make any additions or alterations to the licensed premises or machinery, tools or apparatus or carry out recommendations, which are in the opinion of such authority may pose unacceptable risk and so necessary for the safety of either on-site or off-site of the premises or persons, the holder of the licence shall execute the recommendations and report compliance within the period specified by such authority.

30. Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of explosives shall be immediately reported to the nearest police station and the licensing authority.

31. Fireworks and pyrotechnic materials shall be loaded into mortars only prior to display. There shall be no reloading of any fireworks and pyrotechnic materials during fireworks display.

32. The fuse shall be fitted in such a way that minimum 15 centimeter of the fuse protrudes out of the shell after it has been inserted into mortar.

33. In the event of misfire of fireworks, no person shall approach or be permitted to approach the display site until 30 minutes after igniting the fireworks.

34. Mock drill shall be conducted at least two days prior to the actual display of fireworks, to assess the preparedness of the onsite emergency plan under the supervision of the licensing authority.

35. The persons engaged by the licensee for conducting of fireworks display shall wear distinct colour jacket with fluorescent strips for easy identification and shall have identity cards issued by the licensee.

Signature of licensing authority,

Designation and Seal of licensing authority

(District Magistrate)";

(ii) after Form LE-11, the following form shall be inserted, namely:—

"Form LE-11(A)

Fireworks Display Operator / Fireworks Display Assistant Certificate

(See article 11 of Part 1 of Schedule IV)

(See rule 107(6A) of the Explosives Rules, 2008)

Certificate of competency for Fireworks Display Operator / Fireworks Display Assistant Certificate

No..................

Space for photograph of the Fireworks Display Operator/Fireworks Display assistant with signature

This is to certify that ....(name) born on.......................(date of birth) resident of ....(address) Passed the ....(Fireworks display operator/ fireworks display assistant examination) held on.................. (date) by .... (authority conducting examination) and is authorized to supervise/assist fireworks display duly licensed in Form LE-6 granted by the District Magistrate as under Explosives Rules, 2008.

This certificate shall remain valid till..(five years from the date of issue). This certificate is liable to be suspended or revoked for any violation of the Act or rules framed there under or the conditions of this certificate or if there is any discrepancy or deviation in the information furnished by the applicant in his application form.

Place :.................. (Signature of Licensing Authority)

Date : ....

Statutory warning : Mishandling and misuse of explosives shall constitute serious criminal offence under the law.

CONDITIONS

1) All local laws and regulations applicable for display fireworks shall be followed.

2) No persons under the influence of intoxicating liquors narcotics or other dangerous drugs shall be allowed to handle explosive materials.

3) The holder of this certificate shall comply with all or any of the directions as may be given by the Licensing Authority from time to time in the interest of safety.

4) Accidents by fire or explosion and losses, shortage or theft of explosives shall be immediately reported to licensee, the nearest police station and the Licensing Authority having jurisdiction over the area.";

(c) in Part 4,—

(i) in SET-I, after condition (25), the following condition shall be inserted, namely:—

"(25A) No fireworks shall contain lithium, antimony, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other prohibited chemicals";

(ii) in SET-II,-

(a) after condition (31), the following condition shall be inserted, namely:—

"(31A) No fireworks shall contain lithium, antimony, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other prohibited chemicals";

(b) after condition (66), the following condition shall be inserted, namely:—

"(66A) No fireworks shall contain lithium, antimony, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other prohibited chemicals";

(iii) in SET-IX, after condition (3), the following condition shall be inserted, namely:—

"(3A) No fireworks shall contain lithium, antimony, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other prohibited chemicals";

(iii) in SET-XI, after condition (10), the following condition shall be inserted, namely:—

"(10A) No fireworks shall contain lithium, antimony, mercury, arsenic, lead and strontium chromate or any other prohibited chemicals".

[F. No. 2(9)/2013-Expl.]

SHAILENDRA SINGH, Addl. Secy.

Note : The principal rule were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 907(E), dated the 29th December, 2008 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 65(E) dated 24th January, 2011 and notification number G.S.R. 772(E) dated 11th December, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.06.22 18:54:39 +05'30'